प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

(प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प./प्रशिक्षण/11-2/2023-24/ दिनांक: 07 जुलाई 2023 No.Au/Trg/11-2/2023-24/ Date: 07 July 2023

अनुभागीयआदेशसं./SECTIONAL ORDER NO.106

अनुभागीय आदेश सं. 98 दिनांक 30 जून 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारियों को आरटीआई, चेन्नई द्वारा आयोजित किए जाने वाले निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर ऑनसाइट सत्रों के लिए नामित किया गया है।

In partial modification to SO No.98 dated 30 June 2023 the following officials have been nominated for the onsite sessions for the following training programme to be conducted by RTI, Chennai.

Sl No	Originally Nominated	Name of Official change in nomination proposed	Dates of Training	Name of the course	
	(Shri/Smt)	(Shri/Smt)			
1.	Shri Prashobh Balakrishnan, AAO/ Report Civil	,	10.07.2023 to 13.07.2023	Internal Control, Internal Audit and Fraud and	
2.	Shri Mudassar E P, AAO/AMG II Party IX	Shri Anuroop S K, AAO/ AMG II(HQ)I	13.07.2023	Forensic Audit	

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participants may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The officials are also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months of the last day of Training.

(वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) के दिनांक 07 जुलाई 2023 के आदेशानुसार)

Sd/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिल प:-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक्न .प.ले)-I)/(ले.पII)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए